जूटमिल पुलिस अवैध शराब बिक्री करने वालों पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जूटमिल प्रभारी निरीक्षक अंजना केरकेट्टा के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा अभियान चलाते हुए अवैध शराब बिक्री करने वालों पर कार्यवाही किये। कार्यवाही दौरान (1) अरुण पांडे निवासी छातामुडा चौक जूटमिल (2) कांसीराम यादव निवासी मिठुमुडा जूटमिल (3) प्यारीलाल निवासी कयाघाट जूटमिल (4) रामकुमार उरांव निवासी बाबाधाम के पास (5) जग्गू टण्डन निवासी कयाघाट को शराब अवैध रूप से बिक्री करने के लिये रखे हुये पकडा गया है। आरोपीगण से कुल 54 पाव देशी शराब बरामद किया गया है। आरोपीगण के विरूद्ध पृथक-पृथक चौकी जुटमिल थाना कोतवाली में धारा 34 (1)(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में प्रभारी निरीक्षक अंजना केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक सतीश पाठक, विजय गोपाल, अरुणा चौरसिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

लोहे के कत्ता के साथ युवक गिरफ्तार, जुटमिल पुलिस ने की आर्म्स एक्ट की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। शुक्रवार 5 जुलाई को दोपहर करीब 01:30 बजे सार्वजनिक स्थान पर लोहे के धारधार कत्ता से लोगों को भयभीत कर रहे युवक को जूटमिल पेट्रोलिंग पार्टी ने पकड़ा। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी जूटमिल स्टाफ प्रधान आरक्षक दिलदार कुरैशी, आरक्षक मुकेश साहू और जीतराम धृतलहरे पेट्रोलिंग पर थे जिन्हें मुखबिरसे सूचना मिली कि एक व्यक्ति मौदहापारा रोड पर लोहे का हथियार लेकर लहरा रहा है। सूचना पर पेट्रोलिंग पार्टी मौके पर पहुंची और वसीम अकरम पिता मो.सलीम उम्र 22 वर्ष निवासी मौदहापारा को एक लोहे के धारदार कत्ता के साथ पकडे।

खुले में शराब पीने वालों के बाद सट्टा व खुड़खुड़िया पर हुई कार्यवाही

» चक्रधरनगर पुलिस ने 07 सट्टा लिखने वाले तथा तमनार, धरमजयगढ़ पुलिस ने रथ मेला में खुड़खुड़िया खेलाने वालों पर की कार्यवाही

» जूटमिल, कोतरारोड, चक्रधरनगर में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़े गये व्यक्तियों पर फिर हुई कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर कार्यवाही के बाद चक्रधरनगर पुलिस द्वारा दिनांक 04.07.19 को पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन एवं सीएसपी रायगढ के मार्गदर्शन पर थाना क्षेत्र में सट्टा लिखकर जुआ खेलाने वालों पर कार्यवाही किया गया है। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक युवराज तिवारी द्वारा थाने के एक विवेचक व दो-दो आरक्षकों की टीम बनाकर अलग-अलग क्षेत्र में कार्यवाही हेतु रवाना किये थे। जिनके द्वारा (1) बोईरदादर स्कूल के पीछे गोविन्द प्रसाद प्रधान आ. स्व. जोगेश्वर प्रसाद प्रधान उम्र 53 वर्ष सा. बोईरदादर बिनोबानगर थाना चक्रधरनगर (2) बंगाली कालोनी के पास रंजीत सरकार पिता नैनी गोपाल सरकार उम्र 50 वर्ष साकिन सुभाषनगर बंगाली कालोनी थाना चक्रधरनगर (3) छोटे

अतरमुड़ा इंडियन स्कूल के पास कंगालू बरेठ पिता स्व. कोंदा बरेठ उम्र 52 वर्ष निवासी जूटमिल कबीर चौक चौकी जूटमिल (4) बोईरदादर चौक के पास चंदन सारथी पिता राम प्रसाद सारथी उम्र 29 साल साकिन पतरापाली (5) बोईरदादर चौक के पास ही मोह. सहनवास पिता स्व. मोह. सकुर उम्र 28 वर्ष साकिन जामगांव थाना चक्रधरनगर (6) बोईरदादर चौक के पास सानू खान उर्फ शहनवाज खान पिता स्व. कुतुबुद्दीन खान उम्र 30 वर्ष साकिन मधुवनपारा (7) हनुमान मंदिर बेलादुला के पास ज्ञानेन्द्र सिदार पिता टर्रूराम उम्र 43 वर्ष साकिन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर बेलादुला थाना चक्रधरनगर को पकडे हैं। आरोपियों के पास से कुल 5655 रूपये व सट्टा-पट्टी बरामद किया गया है। इनके विरूद्ध 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

तमनार पुलिस द्वारा दिनांक 04.07.19 को ग्राम मौहापाली बस्ती रथयात्रा मेला के पास खडखुडिया गोटी से जुआ खेल रहे (1) पुनीराम राठिया पिताणरम सिंह राठिया उम्र 46 वर्ष सा. पतरापाली थाना घरघोडा (2) तेजराम पैंकरा पिता घांसीराम पैंकरा उम्र 26 वर्ष सा. कठरापाली थाना तमनार (3) सरीफ खान पिता करीम खान उम्र 24 वर्ष सा. झकरयापाली थाना घरघोडा को रेड कर पकडे जिनमें *जुमला 2300 रूपये व खुड़खुड़िया गोटी, पट्टी टोकरी जप्त किया गया है।

एक अन्य प्रकरण तमनार पुलिस द्वारा ग्राम मुडागांव बस्ती में खुडखुडिया गोटी से जुआ खेलते हुये आरोपी (1) ललित राठिया पिता लाल साय राठिया उम्र 26 वर्ष सा. भालूमुडा थाना तमनार (2) दर्शन राठिया पिता लाल सिंह राठिया उम्र 20 वर्ष सा. टांगरघाट थाना तमनार को पकड़ा जिनसे कुल जुमला 1900 रूपये एवं मौके पर खुड़खुड़िया गोटी, पट्टी जप्त किया गया है। धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा जमरगीडी बस्ती अटल चौक के पास महेत्तर राठिया पिता चैतराम राठिया उम्र 35 वर्ष साकिन जमरगीडी थाना धरमजयगढ को खुडखुडिया गोटी से जुआ खेलाते रेड कर पकडे जिसके पास से जुमला 300 रू. व खुडखुडिया गोटी, पट्टी आदि जप्त किया गया है। आरोपीगण पर जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

दिनांक 04.07.19 को भी चक्रधरनगर व चौकी जूटमिल द्वारा 3-3 व्यक्तियों को तथा थाना कोतरारोड़ पेट्रोलिंग द्वारा 02 व्यक्तियों पर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुये पकड है। आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

थाना चक्रधर नगर में वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर सार्वजनिक स्थान में बैठ कर शराब पीनेवालों पर कार्यवाही की गई जिसके अंतर्गत 10 व्यक्तियो के विरुद्ध 10 प्रकरण धारा 36(च)आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किये गये आरोपी में 1.भास्कर निषाद पिता भुवनेश्वर उम्र 34 बनोरा, 2.विदुर सारथी पिता डिग्रिलाल उम्र34 बनोरा, 3,जितेंद्र बघेल पिता रत्थु उम्र40 अमलीडीह, 4,अजय पिता हलधर पटेलउम्र 28 निवासी अमलीडीह, 5, वरुण देवांगन पिता अमर साय उम्र 34 संजय नगर, 6अजय पटेल पिता मोहन सिंग उम्र 23 सपोस जांजगीर, 7,बिहारी खड़िया पिता पिछालु खड़िया उम्र 30 सराईभदर, 8,संजय सारथी पिता अजनु सारथी उम्र 32 सराईभदर, 9,हरीश चौहान पिता उमेश उम्र 32 सराईभदर, 10,अर्जुन यादव पिता पुरन उम्र 26 इतवारी बाजार कोतवाली, शामिल हैं।

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना भूपदेवपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासरत 28 वर्षीय युवती आज दिनांक 05.07.19 को थाना भूपदेवपुर में प्रदीप खूंटे निवासी ग्राम पाठ थाना कोसीर द्वारा शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है।

पीड़िता ने बताया कि लगभग एक डेढ साल पूर्व प्रदीप खूंटे और यह मोनेट कंपनी में काम करते थे । इसी दौरान प्रदीप खूंटे से जान पहचान हुई, उसके बाद एक दूसरे के मोबाईल नंबर से बातचीत शुरू हुआ, प्रदीप बोला कि तुमसे शादी करूंगा। इस बात को युवती अपने घर में बतायी तो घर वालों से शादी करा देंगे बोले। दिनांक 20.06.2018 को युवती घर पर अकेली थी तो प्रदीप खूंटे घर आकर शारीरिक संबंध बनाया, और तब से लगातार

शारीरिक सम्बंध बनाता रहा। अब प्रदीप युवती से शादी करने से इंकार कर कहने लगा कि तुमसे शादी नही करूंगा, जो करना है कर लो। युवती ने प्रदीप के विरूद्ध कार्यवाही के लिये लिखित आवेदन थाना भूपदेवपुर में दिया है जिस पर अप.क्र. 112/19 धारा 376 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

दुष्कर्म पीड़ित युवती की मृत्यु, आरोपी युवक पर हत्या का अपराध दर्ज

» आरोपी युवक गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। केजीएच हास्पिटल में ईलाज के लिये लायी गई 21 वर्षीय युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। युवती के पिता ने थाना कोतवाली में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि आरोपी युवक किशन चौहान द्वारा युवती को कम्प्युटर क्लास जाते समय मोटर सायकल पर जबरजस्ती. बिठाकर अपने दोस्त के घर ले जाकर बंद कमरे अंदर हैवानियत पूर्वक बलात्कार किया जिससे लड़की की मौत हुई है। घटना के संबंध में थाना कोतवाली में आरोपी *किशन चौहान पिता जनक चौहान उम्र 21 वर्ष निवासी पुराना पुलिस लाईन रायगढ़ के विरूद्ध अप.क्र. 501/19 धारा 365, 342, 376, 302 भादंवि दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

पिकअप की ठोंकर से स्कूटी चालक का निधन

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा अन्तर्गत ग्राम बैस्कीमुडा में दिनांक 04.07.19 के 15.30 बजे छातासराई रोड पर दिलसाय बादल के घर के पास पिकअप क्रमांक सीजी 13 एल 8542 का चालक सामने आ रही सोल्ड स्कूटी वेगो को ठोंकर मारकर पिकअप वाहन को वहीं छोड़कर भाग गया। दुर्घटना में स्कूटी चालक का मौके पर ही निधन हो गया। ग्राम कोटवार श्याम दास महंत के रिपोर्ट पर पिकअप वाहन चालक के विरूद्ध थाना लैलूंगा में अप.क्र. 121/19 धारा 304(ए) भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

आवश्यकता है
CAREER SCHOOL
अंग्रेजी माध्यम (English Medium)
में नर्सरी से कक्षा 10वीं तक के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक
अभ्यर्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।
CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL
स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996
पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...
ADMISSION OPEN
ENGLISH MEDIUM
For Nuresery to 10th
Topper Students Last Session
Topper Students Last Session

Join CAREER...
Major Facts
1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....
CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480